

२९/१०/२५

पन्नावली पेरा हुई। आधे इकन पन्नावली उफ। अकरण
में मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल वाद खारिज
किये जाने के बाद पन्नावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती
है अतः कोई कार्यवाही बंद भी रहने से अकरण को रखी
स्तल पर ड्रॉप किया जाता है। पन्नावली के सल शुभा टोस्ट



फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

प्राथी..... सु. जोगी वार्ड विपक्षी..... मोहन

किस्म मुकदमा..... 212 पत्रावली संख्या..... 22/21 सन.....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
	नम्बर से नफ़ ले । निर्णय सुनाया गया ।	